



NEERAJ®

ब्रिक्स में प्रशासनिक प्रणाली

(Administrative System in BRICS)

B.P.A.E.- 143

Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers

Based on

C.B.C.S. (Choice Based Credit System) Syllabus of

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: *Harmeet Kaur*



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

(Publishers of Educational Books)

Retail Sales Office:

1507, First Floor, Nai Sarak, Delhi - 6 | Mob.: 8510009872, 8510009878

E-mail : info@neerajbooks.com Website : www.neerajbooks.com

MRP ₹ 280/-

Published by:



NEERAJ PUBLICATIONS

(Publishers of Educational Books)

Retail Sales Office: 1507, First Floor, Nai Sarak, Delhi - 6 | Mob.: 8510009872, 8510009878

E-mail : info@neerajbooks.com Website : www.neerajbooks.com

© Copyright Reserved with the Publishers only.

Reprint Edition with Updation of Sample Question Paper Only

Typesetting by: Competent Computers, Printed at: Novelty Printing Press

Disclaimer/T&C

1. For the best & up-to-date study & results, please prefer the recommended textbooks/study material only.
2. This book is just a Guide Book/Reference Book published by NEERAJ PUBLICATIONS based on the suggested syllabus by a particular Board/University.
3. These books are prepared by the author for the help, guidance and reference of the student to get an idea of how he/she can study easily in a short time duration. Content matter & Sample answers given in this Book may be Seen as the Guide/Reference Material only. Neither the publisher nor the author or seller will be responsible for any damage or loss due to any mistake, error or discrepancy as we do not claim the Accuracy of these Solutions/Answers. Any Omission or Error is highly regretted though every care has been taken while preparing, printing, composing and proofreading of these Books. As all the Composing, Printing, Publishing and Proof Reading, etc., are done by Human only and chances of Human Error could not be denied. Any mistake, error or discrepancy noted may be brought to the publishers notice which shall be taken care of in the next edition and thereafter as a good gesture by our company he/she would be provided the rectified Book free of cost. Please consult your Teacher/Tutor or refer to the prescribed & recommended study material of the university/board/institute/ Govt. of India Publication or notification if you have any doubts or confusions regarding any information, data, concept, results, etc. before you appear in the exam or Prepare your Assignments before submitting to the University/Board/Institute.
4. In case of any dispute whatsoever the maximum anybody can claim against NEERAJ PUBLICATIONS is just for the price of the Book.
5. The number of questions in NEERAJ study materials are indicative of general scope and design of the question paper.
6. Any type of ONLINE Sale/Resale of "NEERAJ BOOKS" published by "NEERAJ PUBLICATIONS" in Printed Book format (Hard Copy), Soft Copy, E-book on any Website, Web Portals, any Social Media Platforms – Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, LinkedIn etc. and also on any Online Shopping Sites, like – Amazon, Flipkart, eBay, Snapdeal, Meesho, Kindle, etc., is strictly not permitted without prior written permission from NEERAJ PUBLICATIONS. Any such online sale activity of any NEERAJ BOOK in Printed Book format (Hard Copy), Soft Copy, E-book format by an Individual, Company, Dealer, Bookseller, Book Trader or Distributor will be termed as ILLEGAL SALE of NEERAJ BOOKS and will invite legal action against the offenders.
7. The User agrees Not to reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit for any commercial purposes, any portion of these Books without the written permission of the publisher. This book or part thereof cannot be translated or reproduced in any form (except for review or criticism) without the written permission of the publishers.
8. All material prewritten or custom written is intended for the sole purpose of research and exemplary purposes only. We encourage you to use our material as a research and study aid only. Plagiarism is a crime, and we condone such behaviour. Please use our material responsibly.
9. All matters, terms & disputes are subject to Delhi Jurisdiction only.

Get books by Post & Pay Cash on Delivery :

If you want to Buy NEERAJ BOOKS by post then please order your complete requirement at our Website www.neerajbooks.com where you can select your Required NEERAJ BOOKS after seeing the Details of the Course, Subject, Printed Price & the Cover-pages (Title) of NEERAJ BOOKS.

While placing your Order at our Website www.neerajbooks.com You may also avail the “Special Discount Schemes” being offered at our Official website www.neerajbooks.com.

No need to pay in advance as you may pay “Cash on Delivery” (All The Payment including the Price of the Book & the Postal Charges, etc.) are to be Paid to the Delivery Person at the time when You take the Delivery of the Books & they shall Pass the Value of the Goods to us. We usually dispatch the books Nearly within 2-3 days after we receive your order and it takes Nearly 3-4 days in the postal service to reach your Destination (In total it take nearly 6-7 days).

Content

ब्रिक्स में प्रशासनिक प्रणाली (Administrative System in BRICS)

Question Paper—June-2023 (Solved)	1
Question Paper—December-2022 (Solved)	1
Question Paper—Exam Held in July-2022 (Solved)	1
Sample Question Paper-1 (Solved)	1
Sample Question Paper-2 (Solved)	1

<i>S.No.</i>	<i>Chapterwise Reference Book</i>	<i>Page</i>
--------------	-----------------------------------	-------------

ब्रिक्स में सरकार की संरचना और सांविधानिक ढाँचा

(Constitutional Framework and Structure of Government in BRICS)

1. ब्रिक्स : सांविधानिक ढाँचा	1
(Brics: Constitutional Framework)	
2. ब्रिक्स : विधायिका (Brics: Legislature)	11
3. ब्रिक्स : कार्यपालिका (Brics: Executive)	23
4. ब्रिक्स : न्यायपालिका (Brics: Judiciary)	34

अधिकारी वर्ग एवं प्रशासन पर नियंत्रण तंत्र

(Bureaucracy and Control Mechanism over Administration)

5. अधिकारी वर्ग की भूमिका : नीति निर्माण, कार्यान्वयन और विश्लेषण	45
(Role of Bureaucracy: Policy-Making, Implementation and Analysis)	
6. प्रशासन पर नियंत्रण तंत्र	53
(Control Mechanism Over Administration)	

<i>S.No.</i>	<i>Chapterwise Reference Book</i>	<i>Page</i>
--------------	-----------------------------------	-------------

कार्मिक प्रशासन (Personnel Administration)

- | | |
|--|----|
| 7. कार्मिक प्रबंधन : भर्ती और पदोन्नति | 64 |
| (Personnel Management: Recruitment and Promotion) | |
| 8. कार्मिक प्रबंधन : सिविल सेवकों का प्रशिक्षण | 75 |
| (Personnel Management: Training of Civil Servants) | |

योजना, बजट-प्रक्रिया और लेखा परीक्षा (Planning, Budgeting and Audit System)

- | | |
|---|----|
| 9. योजना प्रक्रिया (Planning Process) | 87 |
| 10. बजट प्रक्रिया और लेखा परीक्षा प्रणाली | 98 |
| (Budgeting and Audit System) | |

स्थानीय शासन (Local Governance)

- | | |
|--|-----|
| 11. ब्रिक्स में स्थानीय शासन (Local Governance in BRICS) | 110 |
|--|-----|

उभरते मुद्दे (Emerging Issues)

- | | |
|--|-----|
| 12. नागरिकता, शासन और प्रशासन | 121 |
| (Citizenship, Governance and Administration) | |
| 13. नागरिक समाज की बढ़ती भूमिका | 128 |
| (Growing Role of Civil Society) | |
| 14. शासन में प्रशासनिक सुधार | 138 |
| (Administrative Reforms in Governance) | |



**Sample Preview
of the
Solved
Sample Question
Papers**

Published by:



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

June – 2023

(Solved)

ब्रिक्स में प्रशासनिक प्रणाली
(Administrative System in BRICS)

B.P.A.E.-143

समय : 3 घण्टे]

[अधिकतम अंक : 100

नोट : प्रत्येक भाग में कम-से-कम दो प्रश्न चुनते हुए, किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

भाग - I

प्रश्न 1. चीन के संवैधानिक ढाँचे पर एक टिप्पणी लिखिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-1, पृष्ठ-3, 'चीन का संवैधानिक ढाँचा' तथा पृष्ठ-6, प्रश्न 4

प्रश्न 2. 'भारतीय संसदीय प्रणाली अपने लोकतंत्र की रीढ़ है।' स्पष्ट रूप से समझाइए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-2, पृष्ठ-12, 'भारतीय संसद', 'राज्यसभा', पृष्ठ-13 'लोकसभा'

प्रश्न 3. 'रूसी संघ की एक विकासशील न्यायिक प्रणाली है, जो न्यायिक सुधारों का परिणाम है।' टिप्पणी कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-4, पृष्ठ-38, प्रश्न 2

प्रश्न 4. ब्राजील और रूस में नीति प्रक्रिया में नौकरशाही की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-5, पृष्ठ-48, प्रश्न 2, पृष्ठ-49, प्रश्न 3

भाग-II

प्रश्न 5. चीन और दक्षिण अफ्रीका में प्रशासन पर नियंत्रण व्यवस्था पर एक टिप्पणी लिखिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-6, पृष्ठ-58, प्रश्न 5, पृष्ठ-59, प्रश्न 6

प्रश्न 6. 'रूस में सिविल सेवकों का प्रशिक्षण बहुआयामी और जटिल है।' विस्तृत कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-8, पृष्ठ-80, प्रश्न 2

प्रश्न 7. ब्राजील में नियोजन प्रक्रिया की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-9, पृष्ठ-95, प्रश्न 1

प्रश्न 8. भारत में स्थानीय शासन प्रणाली का वर्णन कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-11, पृष्ठ-111, 'भारत में स्थानीय शासन'



QUESTION PAPER

December – 2022

(Solved)

ब्रिक्स में प्रशासनिक प्रणाली
(Administrative System in BRICS)

B.P.A.E.-143

समय : 3 घण्टे]

[अधिकतम अंक : 100

नोट : प्रत्येक भाग में कम-से-कम दो प्रश्न चुनते हुए, किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

भाग - I

प्रश्न 1. भारत के संवैधानिक ढाँचे का संक्षेप में वर्णन कीजिए और संविधान की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-1, पृष्ठ-2, 'भारत का संवैधानिक ढाँचा' तथा पृष्ठ-5, प्रश्न 3

प्रश्न 2. ब्राजील की राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक टिप्पणी लिखिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-2, पृष्ठ-11, 'ब्राजील की राष्ट्रीय कांग्रेस'

प्रश्न 3. रूसी संघ में न्यायपालिका के पदानुक्रमित ढाँचे की व्याख्या कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-4, पृष्ठ-34, 'रूस में न्यायपालिका' तथा पृष्ठ-38, प्रश्न 2

प्रश्न 4. चीन की नीति प्रक्रिया में नौकरशाही की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-5, पृष्ठ-47, 'नीतियों पर चीनी अधिकारी वर्ग का प्रभाव' तथा पृष्ठ-50, प्रश्न 5

भाग-II

प्रश्न 5. रूस में लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण प्रणाली का परीक्षण कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-8, पृष्ठ-80, प्रश्न 2

प्रश्न 6. भारत में बजट और लेखा परीक्षा प्रणाली का परीक्षण कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-10, पृष्ठ-100, 'भारत में बजट और लेखा परीक्षा'

प्रश्न 7. चीन में नियोजन प्रणाली और संस्थागत तंत्र की नियोजन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-9, पृष्ठ-89, 'चीन में योजना प्रक्रिया'

प्रश्न 8. निम्नलिखित में से प्रत्येक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-

(क) चीन में ग्राम प्रशासन।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-11, पृष्ठ-112, 'चीन में स्थानीय शासन'

(ख) दक्षिण अफ्रीका में नागरिक समाज की बढ़ती भूमिका।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-13, पृष्ठ-131, 'दक्षिण अफ्रीका में नागरिक समाज की बढ़ती भूमिका'

■ ■

Sample Preview of The Chapter

Published by:




**NEERAJ
PUBLICATIONS**

www.neerajbooks.com

ब्रिक्स में प्रशासनिक प्रणाली (Administrative System in BRICS)

ब्रिक्स में सरकार की संरचना और सांविधानिक ढाँचा (Constitutional Framework and Structure of Government in BRICS)

ब्रिक्स : सांविधानिक ढाँचा (Brics: Constitutional Framework)



परिचय

कुछ अपवादों को छोड़कर लिखित सर्वोच्च कानून माना जाने वाला संविधान प्रत्येक देश या राज्य से संबंधित समस्याओं या नागरिकों के अधिकारों को संदर्भित करता है। एक संविधान को ग्रहण, संशोधन या रद्द करने हेतु विशेष प्रक्रिया मानी गई है। इसकी संस्थाओं को संसद, राष्ट्रीय सभा, कांग्रेस विधानसभा कहा जाता है। यह एक देश का वैधानिक आधार माना गया है। संविधान एक प्रकार के नियमों का समूह है, जिसके अंतर्गत देश को संचालित करने के ढाँचे का निर्माण किया जाता है। इसके ढाँचे का रूप कोई भी हो सकता है, परन्तु सबका लक्ष्य देश के कानून और नियमों का पालन करना होता है।

अध्याय का विहंगावलोकन

ब्राजील का संवैधानिक ढाँचा

1822 में पुर्तगाली शासन से आजादी के बाद पुर्तगाल के राजकुमार पेड्रो प्रथम ब्राजील के राजा बने। सात संविधानों में प्रथम संविधान 1824 का संविधान माना गया। ब्राजील 8.5 मिलियन स्केवयर कि.मी. क्षेत्रफल में 2.2 मिलियन जनसंख्या के साथ विस्तारित हुआ देश है। 1824 के संविधान में संस्थाएँ, विधानसभा और प्रांतीय सरकार पर शासन प्रमुख माना गया, जो कि 1889 तक चला। 1889 से अब तक राज्य स्वायत्तता, केन्द्रीयकरण, अधिनायकवाद और लोकतंत्र आदि शासन व्यवस्थाएँ मानी गई हैं।

1891 का ब्राजील संविधान—यह संविधान अमेरिका के गणतंत्रिकी की तरह का था और इसमें पुरुषों को 21 वर्ष की आयु में मत का अधिकार दिया गया था। इसके अंतर्गत शक्तियों का पृथक्करण, नियंत्रण एवं संतुलन एक द्विसदनात्मक विधायिका, प्रत्यक्ष चुनाव, एक संघीय व्यवस्था आदि अनेक प्रावधान थे।

1934-1937 का ब्राजील का संविधान—1934 के संविधान में वरगास द्वारा प्रतिक्रांति के सामना करने के बाद एक नवीन संवैधानिक प्रक्रिया शुरू हुई। सर्वोच्च अधिकार वरगास द्वारा अधिनायकवाद, कार्यपालिका और विधान संबंधी शक्तियाँ प्रदान की गईं। राज्यपाल द्वारा नगरों के महापौर को नियुक्त किया जाता है। सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप किया गया। नवीन राज्य अधिकार के कारण वरगास एक दशक तक सत्ता में बने रहे।

1946 का ब्राजील का संविधान—1946 का संविधान गेटुलियो वरगास के मंत्री द्वारा शासन हासिल करने के बाद एक प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र के रूप में स्थापित हुआ। राष्ट्रपति यूरिको गस्पार दुत्रा पाँच वर्ष के लिए चुने गये, जिसके अंतर्गत शक्ति पृथक्करण एक व्यक्ति अधिकारों की स्थापना की गई।

1967-1969 का ब्राजील का संविधान—1967 के संविधान में 1969 के अनुसार पुनः संवैधानिक सुधार किया गया। इसके अंतर्गत केन्द्रीकृत शक्ति कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति को दी गई।

1988 में संविधान में परिवर्तन—राष्ट्रपति अनेस्टो गोजल राव गोलबरी डी कूतो इ सिल्वा द्वारा राजनैतिक प्रक्रियाओं और उदारीकरण के साथ लोकतंत्र की शुरुआत की गई। 559 सदस्यों की सभा द्वारा बीस महीने बाद राष्ट्रीय संवैधानिक सभा द्वारा 1988 का नागरिक संविधान का निर्माण किया गया।

1988 के संविधान के अंतर्गत शासन का ढाँचा—1996 के संशोधन के अंतर्गत नगरपालिकाओं, संघ और राज्य की सरकारों की अपनी संस्थाएँ हैं, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यह देश संघीय ब्रासीला और 26 राज्यों से बना है। इस संविधान का उद्देश्य राज्य, क्षेत्रीय या संघीय शक्ति के विकेंद्रीकरण हेतु अधिक प्रशासनिक स्वायत्तता और उत्तरदायित्व प्रदान करना है।

ब्राजील के संविधान की मुख्य विशेषताएँ—ब्राजील के संविधान की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. **कार्यपालिका**—कार्यपालिका में राज्य और सरकार के अध्यक्ष राष्ट्रपति को चार साल के लिए चुना जाता है। 1891 से लेकर 1988 तक सभी संविधानों ने राष्ट्रपति के निरंतर कार्यकाल को निषिद्ध किया था, लेकिन 1997 में संशोधन द्वारा राष्ट्रपति कार्यकाल की सीमा दो बार निश्चित की गई।

2. **विधानसभा**—513 संघीय प्रतिनिधि, 3 सदस्य प्रत्येक राज्य और संघीय जिलों से आठ साल के कार्यकाल के लिए चेम्बर्स ऑफ़ डेप्यूटीज एवं सीनेट द्वारा चुने जाते हैं। दोनों द्वारा चार-चार वर्ष के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने जाते हैं।

3. **न्यायपालिका**—संघीय न्यायपालिका सर्वोच्च मानी गई है, जिसके अंतर्गत 11 न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रीय और सीनेट की सहमति से होती है। इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं—सुपीरियर कोर्ट ऑफ़ जस्टिस, क्षेत्रीय संघीय न्यायालय, श्रम न्यायालय, निर्वाचन न्यायालय एवं सैन्य न्यायालय।

नवीन संवैधानिक विकासात्मक घटनाएँ एवं चुनौतियाँ—2013 में राष्ट्रीय असंतोष का कारण भ्रष्टाचार, 2014 में फीफा विश्व कप के आयोजन में आर्थिक खर्च गतिविधियों को माना गया। राष्ट्रपति डिल्या रूसफे द्वारा ब्राजील में मतदान द्वारा संवैधानिक सभा को राजनीतिक व्यवस्था के सुधार हेतु बुलाया और 1988 के ब्राजील संविधान ने संशोधन द्वारा तीन दशक तक देश की सेवा की क्योंकि देश के पास अनुकूल राजनीतिक व्यवस्था थी, इसलिए संविधान में परिवर्तन किये गये।

रूस का संवैधानिक ढाँचा

रूस द्वारा आर्थिक और विधायी सुधारों को अपनाया गया। देश में आधुनिकीकरण के लिए नवीन वैधानिक ढाँचे का निर्माण किया गया। रूस द्वारा जल्द ही वैधानिक ढाँचे का विकास किया गया।

रूस का संवैधानिक ढाँचा—12 दिसम्बर 1993 को संघीय रूस का संविधान राष्ट्रीय जनमत संग्रह द्वारा अपनाया गया और 25 दिसम्बर 1993 को लागू कर दिया गया। संघीय संप्रभु शक्ति, संघीय संरचना और सम्मिलित प्रणाली की शक्तियाँ कार्यपालिका, विधानसभा और न्यायपालिका में समाहित की गई। इनमें प्रमुख कारक नागरिकों के आत्मनिर्णय, मानवाधिकार और नागरिक स्वतंत्रता माने गये।

रूस में संविधान की प्रमुख विशेषताएँ—रूस के संविधान की विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

1. **संघीय ढाँचा**—संघीय ढाँचा 83 संघीय प्रांतों से बना है। इन प्रांतों को शक्ति दी गई और संविधान के पास क्षेत्रीय विधानसभाओं को विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान की गई।

2. **कार्यपालिका एवं उसका ढाँचा**—सर्वोच्च कार्यपालिका द्वारा राष्ट्रपति को जनता की सहमति से चार वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति को डूमा राज्य की स्वीकृति के साथ प्रधानमंत्री चुनाव का अधिकार है। आंतरिक व विदेशी नीतियों पर निर्णय, सैन्य शक्ति पर निर्णय और अन्य विशेष अधिकार प्रदान किये गये हैं।

3. **संसद एवं विधायी व्यवस्था**—रूस की संघीय सभा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे—राज्य डूमा निचला सदन और संघीय सभा उच्च सदन, दोनों सदनों द्वारा शक्तियों और उत्तरदायित्वों का पालन किया जाता है। हालाँकि राष्ट्रपति के पास निषेद करने का अधिकार है, जबकि दोनों सदनों के पास दो तिहाई मत से पास करने का अधिकार है।

4. **न्यायपालिका**—रूस की न्यायिक व्यवस्था में तीन प्रकार के न्यायालय को सम्मिलित किया गया है—

- (क) सामान्य न्यायालय, अधीनस्थ से सर्वोच्च न्यायालय,
- (ख) उच्च न्यायालय,
- (ग) संवैधानिक न्यायालय।

न्यायिक मंत्रालय द्वारा इन व्यवस्थाओं को संचालित किया जाता है।

भारत का संवैधानिक ढाँचा

भारत विश्व का सातवाँ बड़ा लोकतांत्रिक देश है। संघीय कार्यों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी भाषा के उपयोग के साथ संविधान में अन्य भाषाओं को भी मान्यता प्रदान की गई। भारत में मार्च 2021 तक 28 संघीय राज्य और 8 केन्द्र शासित राज्य हैं। भारत की संसदात्मक शासन व्यवस्था वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत अहिंसात्मक प्रतिरोध आंदोलनों द्वारा 1947 में आजाद हुआ।

भारत का संवैधानिक इतिहास

1948 में भारत में संविधान सभा का गठन भारतीय संविधान के निर्माण हेतु किया गया तथा 1950 में लागू किया गया, जो वर्तमान समय तक लागू है।

भारत सरकार अधिनियम 1919—भारत में शाही विधानसभा को द्विसदनात्मक विधानसभा में बदल दिया गया। इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य सरकार और जनता की सहभागिता को बढ़ावा देना, सीमित शक्तियों के साथ शासन की स्थापना है।

भारत सरकार अधिनियम 1935—भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1919 में भारतीय अधिनियम के प्रतिरोध के कारण यह अधिनियम निर्माणित हुआ। इसके उद्देश्यों में सम्मिलित हैं—

1. दोहरी शासन व्यवस्था की समाप्ति और राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करना,
2. संघ की स्थापना,
3. चुनाव और मताधिकार,
4. सरकार निर्माण हेतु राज्य सभाओं की सदस्यता में बदलाव,
5. संघीय न्यायालय स्थापित करना।

1948 की संविधान सभा एवं 1950 का संविधान—1946 में भारत की स्वतंत्रता की संभावनाओं के लिए ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। इसके अंतर्गत एक संविधान सभा का राज्य विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव किया गया, जिनमें 15 महिलाओं सहित 278 सदस्य थे। कांग्रेस पार्टी द्वारा बहुमत के साथ संविधान

सभा का प्रतिनिधित्व किया गया। पहली बैठक दिसम्बर, 1946 में हुई। नवम्बर, 1949 में संविधान की स्वीकृति और जनवरी 1950 में पारित किया गया। इस संविधान में अब तक 104 संशोधन हो चुके हैं।

भारतीय संविधान की विशेषताएँ—ये विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

भारतीय संविधान एकात्मक झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था—भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताओं में सम्मिलित है। संविधान की सर्वोच्चता, संघ राज्य में शक्ति विभाजन और स्वतन्त्र न्यायपालिका।

लिखित व विस्तृत संविधान—भारतीय संविधान लिखित में है। संविधान सभा को 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय संविधान को निर्माण करने में लगा।

स्वनिर्मित एवं अधिनियमित संविधान—भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित है। सभा का पहला सत्र 9 दिसम्बर 1946 को आयोजित किया गया तथा 13 दिसम्बर 1946 को उद्देश्य पारित और 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावित किया गया।

मौलिक अधिकार—भारत के संविधान के भाग-3 में स्वतंत्रता, समानता, जीवन व धर्म तीन मौलिक अधिकार माने गये, जिनकी सुरक्षा का न्यायिक उपचार प्रावधान है।

भारत एक गणराज्य के रूप में—भारत के गणराज्य में एक चुना हुआ प्रमुख नेता राष्ट्रपति पाँच साल के लिए सत्ता प्राप्त करता है। भारत में किसी राजा का शासन नहीं है, अपितु जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है।

मौलिक कर्तव्य—भारतीय संविधान द्वारा 42 संवैधानिक संशोधन से भाग 4-अ को अधिकारों और कर्तव्यों के लिए रखा गया। संसदात्मक शासन व्यवस्था, लचीले व कठोर का मिश्रण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, एकल नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और द्विसदनात्मक विधानसभा को अन्य विशेषताओं में सम्मिलित किया गया है।

चीन का संवैधानिक ढाँचा

चीन जनवादी गणराज्य 1 अक्टूबर 1949 को घोषित हुआ। चीन में 23 प्रांत, 5 स्वायत्त क्षेत्र और 4 नगरपालिकाएँ हैं। चीन की जनसंख्या लगभग 1.408.09 मिलियन है। चीन में तीन संविधानों का निर्माण हुआ। 1950, 1975 और 1978 में माओ-से-तुंग की मृत्यु के बाद नवीन संविधान का निर्माण हुआ। दिसम्बर 1982 के नवीन संविधान को स्वीकृति मिली। इसके अन्तर्गत चार सिद्धान्त माने गये, जैसे कि समाजवादी पथ का अनुपालन, जनवादी लोकतंत्र का अधिनायकवाद, चीन के साम्यवादी दल का नेतृत्व और मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवादी विचार।

चीन के संविधान की मुख्य विशेषताएँ—ये विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

लिखित प्रलेख—चीन का संविधान लिखित में है, जिनमें 138 अनुच्छेद के अन्तर्गत चार अध्याय हैं। चीन एक समाजवादी राज्य है।

लचीला संविधान—चूँकि चीन में अन्य देशों की अपेक्षा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया सरल है, इसलिए चीन का संविधान लचीला माना गया है।

एकात्मक व्यवस्था—चीन में प्रांतीय स्वायत्तता सत्ता और नगरपालिकाओं को केन्द्रीय शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। यह संविधान एकात्मक व्यवस्था को प्रदान करता है।

जनवादी गणराज्य—चीन में राज्य मामलों को जनता द्वारा नियंत्रित किया जाता है इसलिए जनवादी चीनी गणराज्य की शक्तियाँ जनता के पास हैं।

लोकतांत्रिक केन्द्रवाद—जनवादी चीनी गणराज्य में लोकतांत्रिक केन्द्रवाद का सिद्धान्त प्रयोग किया गया है। विभिन्न स्तरों में जनता को लोकतांत्रिक चुनाव द्वारा सम्मिलित किया जाता है।

चीन का साम्यवादी दल—चीन के साम्यवादी दल द्वारा मार्क्सवादी, लेनिनवादी और माओवादी विचारों द्वारा नेतृत्व और नियंत्रण किया जा रहा है।

एक सदनीय विधानसभा—राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के रूप में एक सदनीय विधानसभा की घोषणा की गई है। इसके अधिकारियों को प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। इसे राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग माना गया है।

मौलिक अधिकार और कर्तव्य—संविधान में मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है, जैसे कि मताधिकार, धर्म, अभिव्यक्ति एवं प्रेस की आजादी, संगठन और प्रदर्शन की आजादी, देश की एकता की रक्षा, संविधान का पालन आदि।

भेदभाव व शोषण रहित—चीनी संविधान के अनुसार भेदभाव और शोषण को प्रतिबंधित किया गया है।

दक्षिण अफ्रीका का संवैधानिक ढाँचा

दक्षिण अफ्रीका के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र की सीमा आरेन्ज नदी और पूर्व क्षेत्र की सीमा जिम्पोपो नदी से मिलती है। यह बहुजातीय राष्ट्र है, जिसकी 11 आधिकारिक भाषाएँ मानी गई हैं।

दक्षिण अफ्रीका की राजनीतिक व्यवस्था—ब्रिटिश संसद द्वारा 1909 में दक्षिण अफ्रीका अधिनियम पारित किया गया। इसे श्वेतों और अश्वेतों में विभाजित किया गया। 1994 में आकस्मिक परिवर्तनों के कारण अल्पसंख्यक श्वेतों का शासन शुरू हुआ, परन्तु राष्ट्रीय दल के राष्ट्रपति एफ. डब्ल्यू. डी. क्लार्क की सरकार द्वारा सुधारों के माध्यम से प्रथम राष्ट्रपति अश्वेत नेल्सन मंडेला को चुना गया और संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना हुई। इस दल द्वारा अप्रैल 1994 में प्रथम बहुप्रजातीय चुनाव में जीत हासिल की गई।

दक्षिण अफ्रीका का संवैधानिक इतिहास—दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक इतिहास के तीन चरण माने गये हैं। 1909 से 1910, 1910 से 1990 और 1990 से वर्तमान समय।

दक्षिण अफ्रीका अधिनियम 1990-1909 से 1910 तक की अवधि में ब्रिटिश संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका अधिनियम को लागू किया गया, जिसके अन्तर्गत स्वतन्त्र संघीय दक्षिणी अफ्रीका की स्थापना हुई।

दक्षिण अफ्रीका का संविधान 1961—दक्षिण अफ्रीका अधिनियम के आधार पर 1961 का संविधान निर्मित किया गया। जिसके अंतर्गत राज्य अध्यक्ष द्वारा क्राउन और गवर्नर जनरल का स्थान लिया गया।

दक्षिण अफ्रीका का संविधान 1983-1983 में दक्षिण अफ्रीका में कई सुधारों के कारण नवीन संविधान लागू किया गया, जिसके अन्तर्गत कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति को 5 साल के लिए चुना गया।

1990 में संवैधानिक विकास—1990 में संवैधानिक विकास के अन्तर्गत प्रथम कार्य अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन से प्रतिबंध हटाना और 27 वर्षों के बाद जेल से नेल्सन मंडेला को रिहा करना माना गया। रंग भेद सम्बन्धी कानूनों को समाप्त करना, समझौता वार्ताएँ करना था, जिसका परिणाम यह हुआ कि 60% से अधिक गोरों द्वारा सुधारों के पक्ष में मतदान दिया गया।

1996 का संविधान—1996 में संवैधानिक न्यायालय द्वारा लिखित में अधिनियम 108 के संविधान को पारित किया गया। इसकी विशेषताएँ सम्मान और आजादी मानी गईं। हालाँकि इस संविधान में 17 संशोधन हो चुके हैं।

दक्षिण अफ्रीका के सिद्धान्त की विशेषताएँ

(i) **विधानसभा**—दक्षिण अफ्रीका में द्विसदनीय विधानसभा है। राष्ट्रीय सभा को निम्न सदन और राज्यों का राष्ट्रीय परिषद् उच्च सदन माना गया है। राष्ट्रीय सभा के 400 सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। आधे सदस्य राज्यों के राजनीतिक दलों और आधे सदस्य राष्ट्रीय सूची द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों में से मंत्रियों की कैबिनेट नियुक्त की जाती है, जो कि राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उस समय राष्ट्रपति सांसद के रूप में इस्तीफा दे देता है। ये चुनाव प्रत्येक पाँच वर्ष में होते हैं।

(ii) **कार्यपालिका**—संसद के कार्यों के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रियों को सम्मिलित कर राष्ट्रीय सरकार की कार्यपालिका बनती है।

(iii) **न्यायपालिका**—स्वतन्त्र न्यायपालिका कानून की व्याख्या और कानूनों को अधिनियमित करती है। न्यायिक व्यवस्था द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार को सीमित रूप से स्वीकारा जाता है।

बोध प्रश्न

प्रश्न 1. ब्राजील के संविधान की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

उत्तर—कार्यपालिका, विधानसभा और न्यायपालिका ब्राजील के संविधान की मुख्य विशेषताएँ मानी गईं हैं। इनका वर्णन इस प्रकार है—

1. कार्यपालिका—ब्राजील के संविधान के अंतर्गत कार्यपालिका के अध्यक्ष राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से चार साल के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति को राज्य और सरकार का प्रमुख माना जाता है। हालाँकि 1891 से 1988 तक के प्रत्येक संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के निरन्तर कार्य अवधि को निषिद्ध किया गया था, परन्तु 1997 में संविधान में संशोधन किया गया। इस संशोधन के अनुसार यह नियम बनाया गया कि राष्ट्रपति के कार्यकाल को सीमा रहित कर दिया गया और उसके लगातार कार्यकाल की अवधि दो बार मानी गई अर्थात् राष्ट्रपति का कार्यकाल दो बार से अधिक नहीं हो सकता।

2. विधानसभा—ब्राजील के संविधान के अनुसार संघीय विधानसभा को द्विसदन में बांटा गया, जैसे कि चेम्बर्स ऑफ डेप्यूटीज और सीनेट। प्रत्येक राज्य और संघीय जिलों से 513 संघीय प्रतिनिधि और 3 सदस्य चुने जाते हैं, जिनका कार्यकाल आठ वर्ष के लिए माना गया है। संघीय प्रतिनिधि से एक तिहाई और दो तिहाई सदस्यों को वैकल्पिक रूप से प्रत्येक चार वर्ष के लिए चुना जाता है। इसी प्रकार 81 सीनेटर प्रत्येक राज्य से चार वर्ष के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुने जाते हैं।

3. न्यायपालिका—ब्राजील संविधान के अन्तर्गत संघीय न्यायपालिका आती है। संघीय न्यायपालिका के न्यायालय में संघीय सर्वोच्च न्यायालय, सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्षेत्रीय संघीय न्यायालय, श्रम न्यायालय, निर्वाचन न्यायालय और सैन्य न्यायालय को सम्मिलित किया गया है। संघीय न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय माना गया है। इनमें 11 न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति और सीनेट की सहमति से की जाती है क्योंकि न्यायालय संघीय, राज्य और स्थानीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, इसलिए इस प्रकार के कानूनों को समाप्त किया जा सकता है।

प्रश्न 2. रूस की विधायी व्यवस्था की चर्चा कीजिए।

उत्तर—रूस की विधायी व्यवस्था के अंतर्गत विधानसभा का प्रतिनिधित्व रूस की संघीय सभा द्वारा किया जाता है। रूस की विधायी व्यवस्था को दो सदनों में बांटा गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य डूमा को निचला सदन माना गया है और संघीय सभा को उच्च सदन माना गया है। हालाँकि दोनों सदनों द्वारा विभिन्न प्रकार की शक्तियों और उत्तरदायित्वों का पालन किया जाता है, परन्तु फिर भी संघीय सभा की अपेक्षा राज्य डूमा अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। राज्य डूमा सदन द्वारा संघीय कानून लागू करने के लिए उत्तरदायित्व का निर्वाह किया जाता है। रूस की विधायी व्यवस्था में विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन में भी पेश किया जा सकता है, परन्तु उसे राज्य डूमा द्वारा प्रथम स्वीकृति मिलनी चाहिए और बहुमत द्वारा स्वीकार किये जाने के बाद ही इसे संघीय सभा में भेजा जा सकता है और 14 दिन के भीतर ही चुनाव कराना होता क्योंकि संघीय सभा द्वारा अगर इसे अस्वीकार किया जाता है, तो विधेयक राज्य डूमा के पास वापस चला जाता है और विधेयक को दो तिहाई बहुमत द्वारा पास किया जा सकता है।